राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1344/2017/उदयपुर

मैसर्स लहर मोबाईल एण्ड इलेक्ट्रीकल्स, उदयपुर. .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–सी, उदयपुर. .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री लोकेश बाबेल, अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री रामकिशोर खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 08.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवसायी के री–ओपन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।

2. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर **माननीय कर बोर्ड का निर्णय अपील संख्या 1616/2010/उदयपुर निर्णय दिनांक 12.12.2017 मैसर्स मोवनी एक्सटेन्शन प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर** उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के रेकॉर्ड का अवलोकन किया जाने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही व्यवहारी के विरूद्ध एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.11.2016 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 18.01.2017 को जरिये ई–मेल प्रेषित किया गया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को नियम 20(1) व 49 की पालना में मांग पत्र को तामिल करवाये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके पश्चात् भी कर निर्धारण अधिकारी ने एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.11.2016 पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध व्यवसायी द्वारा धारा 34 में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण को रिओपन करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने नोटिस तामिल मानते हुए प्रस्तुत रि–ओपन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि व्यवसायी की सुनवाई न तो कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर हुई और न ही अपीलीय अधिकारी के स्तर पर हुई। अतः व्यवहारी द्वारा उद्धरित निर्णय के आलौक में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक समुचित अवसर प्रदान किया जाना नैसर्गिक न्याय के हित में है। प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करें एवं साथ ही व्यवहारी को भी आदेशित किया जाता है कि वह नियत सुनवाई दिनांक 16.11.2018 को मय लेखा रेकॉर्ड के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

3. फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)

सदस्य